बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

सं0 संख्या–टी–3 / योजना–23 / 2015– 1547 / पटना, दिनांक– 20/05/16

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भारत सरकार द्वारा संचालित सभी केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़) राज्यांश एवं रू0 1500.00 लाख (पंद्रह करोड़) मात्र केन्द्रांश के रूप में उपबंधित राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों / कार्यालयों में भारत सरकार द्वारा संचालित सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की राशि तथा समानुपातिक राज्यांश की राशि उपलब्ध है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यांश रू0 1100.00 लाख एवं केन्द्रांश रू0 1500.00 लाख कुल रू0 2600.00 लाख मात्र उपबंधित है। इस योजनान्तर्गत राशि का व्यय केन्द्रांश एवं राज्यांश भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में राज्यांश रू0 1100.00 लाख एवं केन्द्रांश रू0 1500.00 लाख कुल रू0 2600.00 लाख के व्यय की स्वीकृति दी जाती है। इस राशि का आवंटन निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाएगा।

2– स्वीकृत राशि का व्यय–

राज्यांश– मुख्य शीर्ष 2230–श्रम तथा रोजगार उप मुख्य शीर्ष–03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण उप शीर्ष–0333 कौशल विकास मिशन, माँग संख्या–26 विपत्र कोड– पी0 2230030030333 उपबंधित राशि रू0 1100.00 लाख (ग्यारह करोड़)।

केन्द्रांश– मुख्य शीर्ष 2230– श्रम तथा रोजगार उप मुख्य शीर्ष–03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण उप शीर्ष–0233 कौशल विकास मिशन, माँग संख्या–26 विपत्र कोड– पी0 2230030030233, उपबंधित राशि रू0 1500.00 लाख (पंद्रह करोड़) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3– इस योजना हेतु योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपलब्ध है।

4– इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

5– इस राशि का निकासी वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2561 दिनांक–17–4–98 के अनुरूप की जाएगी।

6– प्रस्ताव में सचिव की संचिका संख्या–टी–3 / योजना–23 / 2015 के पृष्ठ– 08 / टि0 पर स्वीकृति प्राप्त है।

7– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–टी–3 / योजना–23 / 2015 के पृष्ठ– 09 / टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन
शैलेश कुमार 20/5/16
(शैलेश कुमार)
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः– टी–3 / योजना–23 / 2015– 1547 / पटना, दिनांक– 20/05/16

प्रतिलिपिः–योजना एवं विकास विभाग (दो प्रति में) / वित्त विभाग(दो प्रति में) / सचिव, श्रम संसाधन विभाग / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग / योजना एवं बजट शाखा, श्रम संसाधन विभाग / निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

शैलेश कुमार 20/5/16
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः– टी–3 / योजना–23 / 2015– 1547 / पटना, दिनांक– 20/05/16

प्रतिलिपिः–निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / सभी प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

शैलेश कुमार 20/5/16
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांकः– टी–3 / योजना–23 / 2015– 1547 / पटना,दिनांक 20/05/16

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

शैलेश कुमार 20/5/16
संयुक्त सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।